संख्या-133/2026/आई0/1339749/2026-5-6099/10/2026-6

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 26 मई, 2026**

विषयः- आर्बिटेशन केस नं0-02/2018, मिस एप्लीकेशन नं0-10/2018 मेसर्स राजेश नारायण सिंह बनाम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी व अन्य में वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश के क्रम में धनराशि के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-26/14फ/नि0अ0/2026-27, दिनांक 15.04.2026 एवं पत्र संख्या-1118/14फ/नि0अ0/2025-26, दिनांक 26.02.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्बिटेशन केस नं0-02/2018, मिस एप्लीकेशन नं0-10/2018 मेसर्स राजेश नारायण सिंह बनाम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी व अन्य में मा0 वाणिज्यिक न्यायालय वाराणसी (आर्बिटेशन इजरावाद सं0-549/2022) के आदेश के क्रम में धनराशि **रूपये** 61,81,118.00 (रूपये इकसठ लाख इक्यासी हजार एक सौ अट्ठारह मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 एवं प्रकरण से सम्बन्धित अद्यतन समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अतः यथार्थ/वास्तविक तथ्यों से स्वयं संन्तुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार अग्रत्तर कार्यवाही की जाए।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी कार्य हेतु किया जायेगा।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।
5. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों/कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।
6. इस संबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 61,81,118 (रुपये इकसठ लाख इक्यासी हजार एक सौ अठारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखा शीर्षक** 4210011104200 जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,वाराणसी।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी।
5. मुख्य कोषाधिकारी कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक/निदेशक (नियोजन बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।